न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— अमीलाल यादव आर.ए.एस.

वाद संख्या:— 70/23

हडमानाराम पुत्र खिराजाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. टीकुनाथ पुत्र लाभूनाथ जाति सिद्व निवासी उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू
2. शाखा प्रबन्धक बीआरकेजीबी शाखा पारेवडा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति बाबत

—: निर्णय :—

दिनांक:— 28.2-25

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 361 तीन सो इकसठ तादादी 35 पेंतीस बीघा 15 पन्द्रह बिश्वा व खसरा संख्या 519/329 पांच सो उन्नीस बट्टा तीन सो उनतीस तादादी 42 बियालीस बीघा 10 दस बिश्वा भूमि वाके रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ने संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवा लिया, इस कारण वादगत भूमि खसरा संख्या 361 तीन सो इकसठ तादादी 35 पेंतीस बीघा 15 पन्द्रह बिश्वा के नये खसरा संख्या 769/361 सात सो उनहतर बट्टा तीन सो इकसठ तादादी 0.5564 जीरो दशमलव पांच पांच छः चार हेक्टेयर व खसरा संख्या 770/361 सात सो सतर बट्टा तीन सो इकसठ तादादी 4.4389 चार दशमलव चार तीन आठ नो हेक्टेयर के वादी के नाम बने है तथा खसरा संख्या 519/329 पांच सो उन्नीस बट्टा तीन सो उनतीस तादादी 42 बियालीस बीघा 10 दस बिश्वा का नया खसरा संख्या 772/519 सात सो बहतर बट्टा पांच सो उन्नीस तादादी 3.8319 तीन दशमलव आठ तीन एक नो हेक्टेयर का वादी के नाम बना है। जिसे वाद में आगे वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादगत भूमि खसरा संख्या 361 तीन सो इकसठ तादादी 35 पेंतीस बीघा 15 पन्द्रह बिश्वा में सें 03 तीन बीघा भूमि व खसरा संख्या 519/329 पांच सो उन्नीस बट्टा तीन सो उनतीस तादादी 42 बियालीस बीघा 10 दस बिश्वा में सें 02 दो बीघा भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक से जरीये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 10.03.2015 कार्यालय उप पंजीयक बीदासर के आधार पर कय की थी। भूमि कय करने के दिन ही वादी ने विकेता से वास्तविक रूप से कय भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी ने भूमि कय करने के बाद उसी समय पंजीकृत विकय—पत्र की फोटोप्रति पटवारी हल्का उंटालड को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु दी थी। परन्तु पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ने आज दिनांक तक वादी की भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं किया। वादगत भूमि का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादी के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। घोषित किया जावे की वादी वादगत भूमि खसरा संख्या 772/519 सात सो बहत्तर बट्टा पांच सो उन्नीस तादादी 3.8319 तीन दशमलव आठ तीन एक नो हेक्टेयर में 0.5058 हेक्टेयर भूमि का व खसरा संख्या 770/361 सात सो सतर बट्टा तीन सो इकसठ तादादी 4.4389 चार दशमलव चार तीन आठ नो हेक्टेयर में 0.7588 हेक्टेयर भूमि का खातेदार कृषक है। वादी ने वादगत भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 एक से भूमि जरीये पंजीकृत विकय पत्र के कय की है। इस कारण खसरा संख्या 772/519 सात सो बहत्तर बट्टा पांच सो उन्नीस तादादी 3.8319 तीन दशमलव आठ तीन एक नो हेक्टेयर में सें 0.5058 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 770/361 सात सो सतर बट्टा तीन सो इकसठ तादादी 4.4389 चार दशमलव चार तीन आठ नो हेक्टेयर में सें 0.7588 हेक्टेयर भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित फरमायी जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक से वादगत भूमि में संशोधन कराने का दिनांक 20.11.2023 को निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ने साफ तौर पर इनकार कर दिया ओर वादी को वादगत भूमि से बेदखल कर वादी की भूमि पर कब्जा करने की ऐलानियां धमकियां दी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से वादगत खेत खसरा संख्या 772/519 सात सो बहत्तर बट्टा पांच सो उन्नीस तादादी 3.8319 तीन दशमलव आठ तीन एक नो हेक्टेयर में सें 0.5058 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 770/361 सात सो सतर बट्टा तीन सो इकसठ तादादी 4.4389 चार दशमलव चार तीन आठ नो हेक्टेयर में सें 0.7588 हेक्टेयर भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित करावे जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी वादगत भूमि का संयुक्त खातेदार है तथा कय शुद्वा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक की ऐलानियां धमकियां देने से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी द्वारा वादी को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए वादी द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। दावा घोषणात्मक, राजस्व रेकार्ड में संशोधन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती का है। वादगत खेत रोही ग्राम उंटालड तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारीत न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि–आदि का दावा पेश कर दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के खिलाफ एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए दावा में तनकीयात कायम नहीं की गई। वाद के समर्थन में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने नाम से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2015 की नकल, नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 329, 332 रोही उंटालड की सत्यप्रतिलिपि पेश की है।

बहस विद्धान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय सुनी गई। विद्धान अधिवक्ता ने मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2015 के आधार पर वादी के वाद को डिक्री करने का निवेदन किया तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर वादगत भूमि में सें विक्रय पत्र में वर्णित भूमि वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादी की ओर से वादगत भूमि उनके पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2015 द्वारा क्रय करना तथा वादगत भूमि वादी के कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2015 से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादी की जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय शुद्धा भूमि है। पंजीकृत विक्रय पत्र पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। क्रय शुद्धा भूमि की खातेदारी वादी अपने नाम दर्ज कराने का कानूनी अधिकारी है। विद्धान अधिवक्ता वादी ने भी अपनी मौखिक बहस में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.03.2015 के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का निवेदन किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अध्ययन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री योग्य होने से अंतिम रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 770/361 तादादी 4.4389 हेक्टेयर में सें 0.7587 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 772/519 तादादी 3.8319 हेक्टेयर में सें 0.5058 हेक्टेयर भूमि वादी हडमानाराम पुत्र खिराजाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 टीकुनाथ के बैंक रहन सहित दर्ज की जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादी स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29-2-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री दीनदयाल बाकोलिया, आर.ए.एस.

हडमानाराम बनाम टीकुनाथ आदि

दावा बाबत :– घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

मु. नं. 70/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम उंटालड खसरा संख्या 770/361 तादादी 4.4389 हेक्टेयर में से 0.7587 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 772/519 तादादी 3.8319 हेक्टेयर में से 0.5058 हेक्टेयर भूमि वादी हडमानाराम पुत्र खिराजाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 टीकुनाथ के बैंक रहन सहित दर्ज की जावे। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादी स्वंय वहन करें।

चीज ....—........मुबलिग ....—........बाबत ....—........खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ....—........ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-2-25

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)